न्यायायल : उपखण्ड अधिकारी, नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0 353 / 2023

निर्णय दिनांक : 17.07.2025

उनवान:

1. आनन्दलक्ष्मी उम्र 40 साल पुत्र हरिराम
2. जयबसंत उम्र 38 साल पुत्र हरिराम
3. तारादेवी उर्फ तारावती स्त्री हरिराम
4. शकुन्तला पुत्री हरिराम सभी जाति अहीर निवासी बनीजौनायचा तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्मवीर उर्फ धर्मा पुत्र जीराम
2. संजीव कुमार पुत्र मौजीराम
3. भूपसिंह पुत्र जीराम
4. मनोज कुमार पुत्र फतेहसिंह
5. राजेश कुमार पुत्र फतेहसिंह
6. संजय कुमार पुत्र श्री फतेहसिंह
7. सरला पुत्री फतेहसिंह सभी जाति अहीर निवसी ग्राम जौनायचा खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधिनियम 1955

।। निर्णय ।।

पत्रावली सुनवाई हेतु पेश हुई प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज0 अभिधृति अधि0 के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1721 रकबा 0.33 है0, 1722 रकबा 0.03 है0, 1723 रकबा 0.07 है0, 1724 रकबा 0.22 है0, वाके ग्राम जौनायचा खुर्द तह0 नीमराना मे स्थित है तथा हम प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त आराजी मे ग्रीन हाउस की बागवानी की हुयी है तथा प्रार्थीगण ने कृषि औजार व बिजली की मोटर के लिए मकान बनाकर विधुत कनैक्शन लिया हुआ है। प्रार्थी सं0 1 को सहायक निदेशक उद्यान अलवर से दिनांक 13.07.2022 क्रम सं0 8 पर प्रार्थी सं0 1 आनन्दलक्ष्मी का जिले मे ग्रीन हाउस निर्माण बाबत प्राप्ति उपरान्त कृषक चयन हेतु लौटरी प्रक्रिया मे सम्पादित हो चुकी है जिसके बाद दिनांक 07.08.2022 को प्रशासनिक स्वीकृति आदेश दिये जो उद्यान निदेशालय राजरथान जयपुर के पत्र क्रमांक आर.के.वी.वाई / एच.डी.पी.बजट 2022–23 / 763–811 दिनांक 15.06.2022 एन. एच.एम. / रा.बा.मि. / मि. / जिला / 2022–23 / 3153–3230 दिनांक 30.06.2022 से जारी योजना दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन / राष्ट्रीय कृष विकास / राजरथान संरक्षित खेती मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2022–23 पाली हाउस निर्माण हेतू कृषको की प्रशासनिक स्वीकृति सूचित के नीचे अंकित कृषक का नाम क्रम सं0 1 पर आनन्दलक्ष्मी यादव पुत्र हरिराम यादव

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

अंकित है। प्रार्थीगण ने उपरौक्त आादेश की अनुपालना मे अपनी खातदारी की उपरौक्त खसरा नम्बरान मे ग्रीन हाउस का पूरा प्रोजेक्ट तैार कर दिया व बागवानी शुरू कर दी है। जिसकी एक फसल खीरे की तैयार करके बाजार मे बेचान कर दी है। प्रार्थीगण के उपरौक्त वर्णित खसरा नम्बरा मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1557/1838 रकबा 0.55 है0, 1558 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम जोनायचा खुर्द मे से आने जाने के लिए ट्रेक्टर लाने ले जाने के लिए बाह जोत करने के लिए फसल तैयार होने पर साधन से बाजार ले जाने के लिए अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 से मौखिक व जुबानी तौर पर रास्ता मे आने जाने के लिए ईकरारनामा किया गया है जिसकी बाबत अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 को 10–10 हजार रू0 दोनो को अलग–अलग मुआवजा राशि दी गयी है और जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1557/1883, 1558 मे से प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1721, 1722, 1723, 1724 मे लगाये हुऐ ग्रीन हाउस मे आने जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगें । अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य इस रास्ता की बाबत जुबानी व मौखिक इकरार के आधार पर प्रत्येक वर्ष 10–10 हजार रू0 बतौर मुआवजा देना तय हुआ है। अब अचानक अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने प्रार्थीगण को उसनी खातेदारी की आराजी मे लगाये हुऐ ग्रीन हाउस मे आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर दी व आने जाने के रास्ता मे अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने बाह जोत लगाकर रास्ता को अवरूद्ध कर दिया व प्रार्थीगण के कहने व समझाने पर गाली गलोच करते है। व मारने पीटने पर उतारू हो रहे है। खसरा नम्बर 1557/1838, 1558 वाके ग्राम जोनायचा खुर्द अप्रार्थी सं0 1 लगा0 7 की खातेदार की आराजी है जो हम प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1721, 1722, 1723, 1724 की डोल लगती हुई है। अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 557/1838, 1558 रास्ता से लगते हुये है। इसलिए हम प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बरान मे आने जाने एक मात्र रास्ता 557/1838, 1558 मे से ही है। इसलिए हम प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 557/1838, 1558 मे से 12 फुट चौडा रास्ता दिलवाया जावे । रास्ता की कीमत डीएलसी रैट के मुताबिक नियमानुसार अदा करने के लिए तैयार है या रास्ता की भूमि के भूमि देने के लिए तैयार है। इसलिए हम प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि मे से 12 फुट रास्ता दिलवाया जाने की प्रार्थना की गई। आराजी मुतनाजा ग्राम जोनायचा खुर्द मे स्थित है जिसकी बाबत प्रार्थना पत्र धारा 251क आर0टी0ए0 को सुनने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् को है........आदि

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये अप्रार्थी सं0 1 लगा. 7 की ओर से श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है।

तत्पश्चात हमारे द्वारा मौका की वास्तविक स्थिती जाने एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता की भूमि का क्षेत्रफल की रिपोर्ट तहसीलदार नीमराना से मंगवाई गई। पत्रावली वास्ते वहस नियत की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के वकील द्वारा अपनी वहस मे प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ। प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्वरान मे बागवानी के लिए आने जाने के लिए 12 फुट रास्ता घोषित किया जाने के तर्क दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस मे तर्क दिये की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है तथा वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस मे यह भी तर्क दिये की प्रार्थना पत्र धारा 251क आर0टी0ए0 के तहत मात्र कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता की घोषणा की जा सकती है। बागवानी या अन्य व्यवसाय एवं रिहायश के लिए रास्ता दिलवाया जाने के धारा 251क मे कोई प्रावधान नही है तथा बागवानी की खेती करने के लिए रास्ता दिलवाने के किसी प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, तथ्यो एवं तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश मौका रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नही होने के कारण इस न्यायालय की राय के मुताबिक खारिज होने योग्य है।

::— आदेश —::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251(क) राज. अभिधृति अधि. 1955 साबित नही होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले कैम्प मे सुनाया गया ।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी,
नीमराना (कोटपूतली—बहरोड)